

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व प्रबंधन विभाग, भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आशयित है अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (एकड़ में)	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	खरसिया	तेन्दुमुड़ी	0.58	तेन्दुमुड़ी से बेहरामुड़ा मार्ग पर कुरकुट नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 11/8/2021 को समय 11:30 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन परिसर पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- (एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण - (उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य)
- (दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या- (4)
- (तीन) अप्रत्यक्ष क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या (निरंक)
- (चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या (निरंक)
- (पांच) प्रभावित क्षेत्र में शास. मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या (निरंक)
- (छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? (हां)
- (सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है (हां)
- (आठ) परियोजना की कुल लागत (1123.06 लाख)
- (नौ) परियोजना से होने वाला लाभ। (जन सामान्य के सुविधा हेतु)
- (दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय। (मूल्य लगभग 5,00,000/- होगा)
- (ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटांक (निरंक)

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

Anshu
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
खरसिया

[Signature]
कलेक्टर
रायगढ़